

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या : 282

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

कोयला परमिट प्रदान करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश और नियम

282. श्री प्रदीप कुमार सिंह:

श्री जुगल किशोर:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी और निजी उद्योगों और अन्य संगठनों को कोयला परमिट देने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अब तक निकाले गए कोयले के लिए निर्धारित प्रति मीट्रिक टन दर का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक उक्त दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए कोयला परमिटों के संबंध में प्राप्त शिकायतों/सूचनाओं का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : कोयला परमिट जारी करने के लिए कोई प्रणाली प्रचलन में नहीं है।

(ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआईएल द्वारा [1.12.2020 से 30.5.2023 तक] अनुबंध-**I-क** में यथा उल्लिखित] और [31.5.2023 से आज की तारीख की स्थिति के अनुसार अनुबंध-**I-ख** में यथा उल्लिखित], तथा एससीसीएल और एनएलसीआईएल द्वारा अधिसूचित कोयले की कीमतें क्रमशः अनुबंध **II** और **III** में दी गई हैं।

(ग) और (घ) : उपरोक्त उत्तर (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तालिका I

डब्ल्यूसीएल को छोड़कर एनईसी सहित सभी कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों के लिए लागू गैर-कोकिंग कोयले के खान मूल्य का पिट हेड रन (आरओएम) (दिनांक 1.12.2020 से दिनांक 30.5.2023 तक)-

ग्रेड	जीसीवी रेंज	गैर-कोकिंग कोल के लिए खान मूल्य पिटहेड रन	
		विद्युत उपयोगिता (आईपीपी सहित), उर्वरक और रक्षा क्षेत्र	विद्युत उपयोगिताएँ (आईपीपी सहित), उर्वरक और रक्षा से भिन्न क्षेत्र
	(किलो कैलोरी/किग्रा)	(रु./ट.)	(रु./ट.)
जी1	7000 से अधिक	*	*
जी2	6700 से अधिक तथा 7000 से कम	3298	3298
जी3	6400 से अधिक तथा 6700 से कम	3154	3154
जी4	6100 से अधिक तथा 6400 से कम	3010	3010
जी5	5800 से अधिक तथा 6100 से कम	2747	2747
जी6	5500 से अधिक तथा 5800 से कम	2327	2534
जी7	5200 से अधिक तथा 5500 से कम	1936	2321
जी8	4900 से अधिक तथा 5200 से कम	1475	1767
जी9	4600 से अधिक तथा 4900 से कम	1150	1378
जी10	4300 से अधिक तथा 4600 से कम	1034	1238
जी11	4000 से अधिक तथा 4300 से कम	965	1155
जी12	3700 से अधिक तथा 4000 से कम	896	1073
जी13	3400 से अधिक तथा 3700 से कम	827	990
जी14	3100 से अधिक तथा 3400 से कम	758	907

जी15	2800 से अधिक तथा 3100 से कम	600	718
जी16	2500 से अधिक तथा 2800 से कम	514	614
जी17	2200 से अधिक तथा 2500 से कम	457	546

*7000 किलो कैलोरी/किग्रा से अधिक जीसीवी के लिए, मूल्य 6700 से अधिक लेकिन 7000 किलो कैलोरी/किग्रा से कम जीसीवी बैंड के लिए लागू मूल्य से अधिक 100/- रुपये प्रति टन बढ़ाया जाएगा, ताकि जीसीवी में प्रत्येक 100 किलो कैलोरी/किग्रा अथवा उसके भाग की वृद्धि की जा सके।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की राजमहल खान से उत्पादित कोयले के संबंध में अधिसूचित मूल्य के अलावा 450.00 रु. प्रति टन ई (मौजूदा पद्धति के अनुसार) की अतिरिक्त राशि प्रभारित की जाएगी।

तालिका II

डब्ल्यूसीएल के लिए लागू गैर-कोकिंग कोयले के खान मूल्य का पिट हैड रन (आरओएम)

ग्रेड	जीसीवी रेंज	गैर-कोकिंग कोल के लिए खान मूल्य पिटहेड रन	
		विद्युत उपयोगिता (आईपीपी सहित), उर्वरक और रक्षा क्षेत्र	विद्युत उपयोगिताएँ (आईपीपी सहित), उर्वरक और रक्षा से भिन्न क्षेत्र
	(किलो कैलोरी/किग्रा)	(रु./ट.)	(रु./ट.)
जी1	7000 से अधिक	*	*
जी2	6700 से अधिक तथा 7000 से कम	3298	3298
जी3	6400 से अधिक तथा 6700 से कम	3154	3154
जी4	6100 से अधिक तथा 6400 से कम	3010	3010
जी5	5800 से अधिक तथा 6100 से कम	2747	2747
जी6	5500 से अधिक तथा 5800 से कम	2534	2590
जी7	5200 से अधिक तथा 5500 से कम	2321	2433
जी8	4900 से अधिक तथा 5200 से कम	1767	2119
जी9	4600 से अधिक तथा 4900 से कम	1378	1652
जी10	4300 से अधिक तथा 4600 से कम	1238	1484
जी11	4000 से अधिक तथा 4300 से कम	1155	1384
जी12	3700 से अधिक तथा 4000 से कम	1073	1285
जी13	3400 से अधिक तथा 3700 से कम	990	1186
जी14	3100 से अधिक तथा 3400 से कम	907	1086
जी15	2800 से अधिक तथा 3100 से कम	718	860
जी16	2500 से अधिक तथा 2800 से कम	614	735
जी17	2200 से अधिक तथा 2500 से कम	546	653

*7000 किलो कैलोरी/किग्रा से अधिक जीसीवी के लिए, मूल्य 6700 से अधिक लेकिन 7000 किलो कैलोरी/किग्रा से कम जीसीवी बैंड के लिए लागू मूल्य से अधिक 100/- रुपये प्रति टन बढ़ाया जाएगा, ताकि जीसीवी में प्रत्येक 100 किलो कैलोरी/किग्रा अथवा उसके भाग की वृद्धि की जा सके।

तालिका 1

डब्ल्यूसीएल को छोड़कर एनईसी सहित सभी कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों के लिए लागू गैर-कोकिंग कोयले की खान मूल्य (आरओएम) का पिट हेड रन (31.5.2023 से आज की तारीख तक)-

ग्रेड	जीसीवी रेंज	गैर-कोकिंग कोल के लिए खान मूल्य पिटहेड रन	
		विद्युत उपयोगिता (आईपीपी सहित), उर्वरक और रक्षा क्षेत्र	विद्युत उपयोगिताएँ (आईपीपी सहित), उर्वरक और रक्षा से भिन्न क्षेत्र
	(किलो कैलोरी/किग्रा)	(रु./ट.)	(रु./ट.)
जी1	7000 से अधिक	*	*
जी2	6700 से अधिक तथा 7000 से कम	3560	3560
जी3	6400 से अधिक तथा 6700 से कम	3410	3410
जी4	6100 से अधिक तथा 6400 से कम	3250	3250
जी5	5800 से अधिक तथा 6100 से कम	2970	2970
जी6	5500 से अधिक तथा 5800 से कम	2510	2730
जी7	5200 से अधिक तथा 5500 से कम	2090	2510
जी8	4900 से अधिक तथा 5200 से कम	1590	1908
जी9	4600 से अधिक तथा 4900 से कम	1240	1488
जी10	4300 से अधिक तथा 4600 से कम	1120	1344
जी11	4000 से अधिक तथा 4300 से कम	965	1155
जी12	3700 से अधिक तथा 4000 से कम	896	1073

जी13	3400 से अधिक तथा 3700 से कम	827	990
जी14	3100 से अधिक तथा 3400 से कम	758	907
जी15	2800 से अधिक तथा 3100 से कम	600	718
जी16	2500 से अधिक तथा 2800 से कम	514	614
जी17	2200 से अधिक तथा 2500 से कम	457	546

*7000 किलो कैलोरी/किग्रा से अधिक जीसीवी के लिए, मूल्य 6700 से अधिक लेकिन 7000 किलो कैलोरी/किग्रा से कम जीसीवी बैंड के लिए लागू मूल्य से अधिक 100/- रुपये प्रति टन बढ़ाया जाएगा, ताकि जीसीवी में प्रत्येक 100 किलो कैलोरी/किग्रा अथवा उसके भाग की वृद्धि की जा सके।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की राजमहल खान से उत्पादित कोयले के संबंध में अधिसूचित मूल्य के अलावा 450.00 रु. प्रति टन ई (मौजूदा पद्धति के अनुसार) की अतिरिक्त राशि प्रभारित की जाएगी।

तालिका II

**डब्ल्यूसीएल के लिए लागू गैर-कोकिंग कोयले के खान मूल्य का पिट हैड रन ऑफ माइन
(आरओएम)**

ग्रेड	जीसीवी रेंज	गैर-कोकिंग कोल के लिए खान मूल्य पिटहेड रन	
		विद्युत उपयोगिता (आईपीपी सहित), उर्वरक और रक्षा क्षेत्र	विद्युत उपयोगिताएँ (आईपीपी सहित), उर्वरक और रक्षा से भिन्न क्षेत्र
	(किलो कैलोरी/किग्रा)	(रु./ट.)	(रु./ट.)
जी1	7000 से अधिक	*	*
जी2	6700 से अधिक तथा 7000 से कम	3560	3560
जी3	6400 से अधिक तथा 6700 से कम	3410	3410
जी4	6100 से अधिक तथा 6400 से कम	3250	3250
जी5	5800 से अधिक तथा 6100 से कम	2970	2970
जी6	5500 से अधिक तथा 5800 से कम	2740	2800
जी7	5200 से अधिक तथा 5500 से कम	2510	2630
जी8	4900 से अधिक तथा 5200 से कम	1910	2292
जी9	4600 से अधिक तथा 4900 से कम	1490	1788
जी10	4300 से अधिक तथा 4600 से कम	1340	1608
जी11	4000 से अधिक तथा 4300 से कम	1155	1384
जी12	3700 से अधिक तथा 4000 से कम	1073	1285
जी13	3400 से अधिक तथा 3700 से कम	990	1186
जी14	3100 से अधिक तथा 3400 से कम	907	1086
जी15	2800 से अधिक तथा 3100 से कम	718	860
जी16	2500 से अधिक तथा 2800 से कम	614	735
जी17	2200 से अधिक तथा 2500 से कम	546	653

*7000 किलो कैलोरी/किग्रा से अधिक जीसीवी के लिए, मूल्य 6700 से अधिक लेकिन 7000 किलो कैलोरी/किग्रा से कम जीसीवी बैंड के लिए लागू मूल्य से अधिक 100/- रुपये प्रति टन बढ़ाया जाएगा, ताकि जीसीवी में प्रत्येक 100 किलो कैलोरी/किग्रा अथवा उसके भाग की वृद्धि की जा सके।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एससीसीएल के लिए प्रति मीट्रिक टन ग्रेड-वार कोयले का आधार मूल्य निम्नानुसार हैं:

पिछले 3 वर्षों के दौरान एससीसीएल से विद्युत क्षेत्र आधार (रन ऑफ माइन) मूल्य					
					(राशि रु./टन)
कोयले का ग्रेड	जीसीवी रेंज	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	13.07.2024 की स्थिति के अनुसार
जी 1	7000 से अधिक	4910	5810	6210	6510
जी 2	6701-7000	4700	5600	6000	6300
जी 3	6401-6700	4610	5510	5910	6210
जी 4	6101-6400	4560	5460	5860	6160
जी 5	5801-6100	3885	4985	5385	5685
जी 6	5501-5800	3780	4830	4930	5230
जी 7	5201-5500	3430	4430	4530	4830
जी 8	4901-5200	3130	3430	3530	3830
जी 9	4601-4900	2450	2750	2850	3150
जी 10	4301-4600	2310	2610	2710	3010
जी 11	4001-4300	1820	2120	2220	2520
जी 12	3701-4000	1600	1850	1950	2250
जी 13	3401-3700	1230	1480	1580	1880
जी 14	3101-3400	1100	1300	1400	1700
जी 15	2801-3100	970	1170	1370	1670
जी 16	2501-2800	920	1120	1320	1620
जी 17	2201-2500	450	1030	1230	1530

पिछले 3 वर्षों के दौरान एससीसीएल से गैर-विद्युत क्षेत्र आधार (रन ऑफ माइन) मूल्य (रुपए प्रति टन)

					(राशि रु./टन)
कोयले का ग्रेड	जीसीवी रेंज	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	13.07.2024 की स्थिति के अनुसार
जी 1	7000 से अधिक	4910	5810	6210	6510
जी 2	6701-7000	4700	5600	6000	6300
जी 3	6401-6700	4610	5510	5910	6210
जी 4	6101-6400	4560	5460	5860	6160
जी 5	5801-6100	3885	4985	5385	5685
जी 6	5501-5800	3780	4830	5230	5530
जी 7	5201-5500	3430	4430	4830	5130
जी 8	4901-5200	3130	3880	4280	4580
जी 9	4601-4900	3020	3620	3920	4220
जी 10	4301-4600	2880	3480	3780	4080
जी 11	4001-4300	2340	2940	3240	3540
जी 12	3701-4000	2080	2580	2880	3180
जी 13	3401-3700	1660	2160	2460	2760
जी 14	3101-3400	1520	2020	2320	2620
जी 15	2801-3100	970	1420	1720	2020
जी 16	2501-2800	920	1370	1670	1970
जी 17	2201-2500	450	1280	1580	1880

अनुबंध- III

एनएलसीआईएल से निष्कर्षित कोयले के औसत आधार मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपये प्रति टन में)

वित्तीय वर्ष	विवरण (रुपये प्रति टन में)	ब्यौरा (रु. प्रति टन में)
वित्त वर्ष 2020- 21	एनटीपीएल को आपूर्ति किए गए कोयले का औसत आधार मूल्य	शून्य (कोयले की आपूर्ति नहीं की गई)
	एनटीपीएल की आवश्यकताओं को पूरा करना के बाद बाहर बेचे गए कोयले का औसत आधार मूल्य	1020.61
वित्त वर्ष 2021- 22	एनटीपीएल को आपूर्ति किए गए कोयले का औसत आधार मूल्य	734.27
	एनटीपीएल की आवश्यकताओं को पूरा करना के बाद बाहर बेचे गए कोयले का औसत आधार मूल्य	1,014.89
वित्त वर्ष 2022- 23	एनटीपीएल को आपूर्ति किए गए कोयले का औसत आधार मूल्य	782.33
	एनटीपीएल की आवश्यकताओं को पूरा करना के बाद बाहर बेचे गए कोयले का औसत आधार मूल्य	1187.87
वित्त वर्ष 2023- 24 (31.12.2023 तक)	एनटीपीएल को आपूर्ति किए गए कोयले का औसत आधार मूल्य	810.53
	एनटीपीएल की आवश्यकताओं को पूरा करना के बाद बाहर बेचे गए कोयले का औसत आधार मूल्य	1186.12
